

कार्यालय कमाण्डेन्ट, पाँचवीं बटालियन आरएसी, जयपुर

क्रमांक:-7-5(2)आरएसी-5/बल/ कानि. भर्ती-2025/ 738

आदेश

दिनांक:-30 जनवरी, 2025

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापित संख्या 1360 दिनांक 09.04.2025, संशोधित विज्ञापित क्रमांक 1535 दिनांक 26.04.2025 एवं 1762 दिनांक 12.05.2025 के अनुसार कालीबाई बटालियन आरएसी, अलवर में कानिस्टेबल सामान्य के 501 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रथम चरण में दिनांक 13 व 14.09.2025 को आयोजित की गई लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 5886 दिनांक 03.12.2025 के तहत गठित चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989, पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश 07/2025 के प्रावधानानुसार दिनांक 14.12.2025 को 499 अभ्यर्थियों को चयन सूची तैयार की गई।

चयन बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयन सूची का उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक 6245 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा अनुमोदन किया जाकर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें (यथा-बायोमेट्रिक सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन आदि) पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान किये जाने के निर्देशों की पालना में निर्मांकित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन में योग्य पाये जाने तथा इनके शिक्षा, जाति, मूल निवास, एन.सी.सी., पुलिस विषय सम्बन्धी डिप्लोमा, तलाकशुदा डिक्ली आदि अन्य प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट (ऑनलाईन/ऑफलाईन) में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के नियम-16 शैड्यूल-iv के प्रावधानानुसार रुपये 14600/- (अक्षर चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रतिमाह पर इन्हें दो वर्ष की परिवर्षा अवधि के लिए कानिस्टेबल सामान्य (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियत पाश्चिमिक (Fixed Remuneration) की राशि राज्यसेवा में उपस्थिति/कार्य ग्रहण की तिथि से देय होगी। परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते देय नहीं होंगे तथा इस अवधि को सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा।

यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989, राजस्थान सेवा नियम-1951 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन रहेगी।



कानिस्टेबल सामान्य

क्र. सं.	चयन सूची क्रमांक	रोल नं.	नाम	पिता/ पति का नाम	मूल वर्ग	लिंग	जन्मतिथि	शिक्षा	चयन वर्ग	स्वाई पता
1.	448	310160935	POOJA SHARMA	MUNESH CHAND SHARMA	OBC-NON CREAMY	FEMALE	20/10/1997	BA	GEN_FEMALE Divorcee-8	मंगला लोधा रोड संजय नगर भरतपुर पुलिस थाना-मथुरा मेट जिला-भरतपुर पिन-321001
2.	451	310103683	RENU KUMARI	DAVARAM	OBC-NON CREAMY	FEMALE	20/09/1995	SR SEC.	OBC_Divorcee-2	मु.पो. भदावली तह. कुम्हेर पुलिस थाना-कुम्हेर जिला-डीग पिन-321602

कानिस्टेबल सामान्य पद पर नियुक्ति निर्मांकित शर्तों के अध्याधीन होगी:-

1. इयूटी ज्वार्डनिंग के प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थाईकरण होने के पश्चात स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे-मैट्रिक्स लेवल-5, सेल-1 (लेवल का न्यूनतम 20800/-) में नियमित वेतन निर्धारण किया जाकर नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे तथा नियमानुसार कर्तौतियां की जायेगी।
3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के Schedule IV (Rule No. 16) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में नियमानुसार 15 दिन आकस्मिक अवकाश देय होंगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश, अवकाश लेखे में जमा नहीं किया जायेगा।
4. इन्हें राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-103ए के तहत पितृत्व अवकाश देय होगा।
5. राज्य सरकार के आदेश संख्या-एफ 12 (3) एफडी/रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अंशदायी पेशन योजना के स्थान पर पुरानी पेशन योजना लागू की गई है, जो नियमानुसार प्रभावी होगी।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-5 (5) एफडी/इन्स्योरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021, आदेश संख्या-एफ-5 (5) एफडी/इन्स्योरेन्स/2020 पार्ट-1। दिनांक 07.07.2021, दिनांक 07.09.2021 व 19.04.2022 में वर्णितानुसार आर.जी.एच.एस. योजना लागू होगी व नियमानुसार कर्तौतियां की जायेगी।



7. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-13 (3) एफडी/रुल्स/2001 दिनांक 04.10.2001, आदेश संख्या-प-7(1) कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 13.08.2004 के प्रावधानानुसार नियुक्ति के उपरान्त यदि अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने के तथ्य सामने आते है तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह में दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति/पत्नी रखने, आपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजों में विपरीत तथ्य तथा अन्य किसी भी प्रकार के नियम विरुद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से इनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जायेगा।
9. कानिस्टेबल भर्ती, 2025 हेतु जारी विज्ञापित संख्या 1360 दिनांक 09.04.2025 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में नियुक्ति के उपरान्त भी किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
10. अभ्यर्थी को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर एक बन्धपत्र कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार में से किसी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। बन्ध पत्र के अनुसार आरएसी में प्रशिक्षण अवधि समाप्ति दिनांक से 02 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। इस अवधि से पूर्व इस कार्यालय की बिना अनुमति अन्य नियोजन स्वीकार करने/त्यागपत्र देने/फरार/गैरहाजिर होने पर वास्तविक प्रशिक्षण खर्च की राशि एवं प्राप्त किये गये वेतन भत्तो की राशि को राजकोष में जमा करवाना होगा। ड्यूटी से फरार होने पर बिना किसी नोटिस के राज्यसेवा से पृथक किया जा सकता है। (प्रारूप संलग्न है।)
11. आरएसी एकट की धारा-4 में वर्णित प्रावधानानुसार इकरारनामा (पुलिस सेवा बॉण्ड) अनिवार्य रूप से 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न है।)
12. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से निर्वहन किये जाने सम्बन्धी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न है।)
13. अभ्यर्थी (i) दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपड़े, बिस्तर (ii) मैसे एडवांस राशि 4000/-, (iii) कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 3000/-, (iv) 05 पासपोर्ट साईज फोटो तथा स्टेट बैंक खाता पासबुक (v) आश्रित माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्रियों के 2-2 पासपोर्ट साईज फोटो (vi) संलग्न निर्धारित प्रारूप अनुसार बन्धपत्र, शपथ पत्र साथ लेकर दिनांक 03.02.2026 तक



बटालियन मुख्यालय, पाँचवी बटालियन आरएसी, जयपुर पर अपनी उपस्थिति देवे। उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

आदेश पंजिका बद्ध हो।

ईओबी क्रमांक:- 32

दिनांक:-30 जनवरी, 2026

(चूनाराम जाट, IPS)

कमाण्डेन्ट

पाँचवी बटालियन आरएसी,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ सादर प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्न्ड बटालियन्स, राजस्थान जयपुर
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
5. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी बटालियन्स मय एमबीसी/हाड़ी रानी/एसडीआरएफ/महाराणा प्रताप बटालियन।
6. पुलिस अधीक्षक, एस.सी.आर.बी. राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि नियुक्ति आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने का श्रम करे।

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. डिप्टी कमाण्डेन्ट, पाँचवी बटालियन आरएसी, जयपुर।
2. क्वार्टर मास्टर, पाँचवी बटालियन आरएसी, जयपुर।
3. सहायक कमाण्डेन्ट-प्रथम/द्वितीय, पाँचवी बटालियन आरएसी, जयपुर।
4. समस्त कम्पनी कमाण्डर्स, पाँचवी बटालियन आरएसी, जयपुर।
5. सूबेदार क्वार्टर मास्टर/सूबेदार एड्युटेन्ट/परिवहन अधिकारी, पाँचवी बटालियन आरएसी, जयपुर।
6. प्रभारी लेखाशाखा, पाँचवी बटालियन आरएसी, जयपुर।



7. प्रभारी गोपनीय शाखा/बटालियन केन्टीन, पाँचवी बटालियन आरएसी, जयपुर।
8. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।
9. सभी सम्बन्धित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के संलग्न अनुसार बन्धपत्र, शपथ पत्र आदि के साथ दिनांक 03.02.2026 तक बटालियन मुख्यालय, पाँचवी बटालियन आरएसी, जयपुर पर अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।



कमाण्डेन्ट

पाँचवी बटालियन आरएसी,
जयपुर